न्यायालय अति.संभागीय आयुक्त, पाली संभाग, पाली
पीठासीन अधिकारी :—श्री हरफूलसिह यादव,आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या :—253/2024
जी.सी.एम.एस नंबर :— 2024/253

अपीलाण्ट :—	बनाम	रेस्पोडेन्ट :—
मोहनलाल गोद पुत्र श्री पेमा जी, उम्र 56 वर्ष, जाति माली, निवासी—भूती, तहसील आहार, जिला जालोर (राज)		1 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील आहोर, जिला जालोर 2. श्रीमान् नायब तहसीलदार भादराजून, तहसील आहोर, जिला जालोर 3. श्रीमती प्यारी देवी पुत्री पेमा जी पत्नी श्री मोहनलाल, जाति माली, निवासी—भूती, तहसील आहोर, जिला जालोर (राज) हाल निवासी पावा, तहसील बाली, जिला पाली।

<u>अपील अन्तर्गत धारा 76 भू राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध न्यायालय अति. जिला कलेक्टर, जालोर, राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 94/2015 अनवान प्यारीदेवी बनाम ना.तहसीलदार आहोर वगैरा में निर्णय दिनांक 8/7/2016 द्वारा म्यूटेशन सं. 467 दिनांक 11.12.2001</u>

उपस्थिति :—
1. श्री विनोद कुमार , विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट।

:: <u>निर्णय</u> ::

दिनांक:— 28/10/24

1. पत्रावली में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि न्यायालय अति. जिला कलेक्टर, जालोर, राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 94/2015 अनवान प्यारीदेवी बनाम ना.तहसीलदार आहोर वगैरा में निर्णय दिनांक 8/7/2016 से व्यथित होकर अपीलाण्ट ने द्वितीय अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई।

2. यह अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेण्ट्स को जरिये नोटिस से तलब किया गया।

3. बहस वकील अपीलाण्ट सुनी गई।

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
पाली (राज.)

4. विद्वान अधिवक्ता वकील अपीलाण्ट ने बहस के दौरान अपील मीमो में वर्णित तथ्यों को दौहराते हुये कथन किया कि विद्वान न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है, जो विधि के विरूद्ध होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

5. अपीलाण्ट के अधिवक्ता ने अभिकथन कर निवेदन किया कि –

अधिनस्थ अति. जिला कलेक्टर, जालोर द्वारा पारित आदेश दिनांक 08 / 07 / 2016 तथ्यों व विधि के विपरीत होने से खारिज किये जाने योग्य है।

मौजा कंवला के हाल खसरा नम्बर 2155 रकबा 0.61 हैक्टर व हाल खसरा नम्बर 2181 रकबा 0.95 हैक्टर कुल रकबा 2.47 के खातेदार लालाव पेमा पुत्र समा माली दर्ज थे। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा बिना अपीलार्थी पर उचित तामिल करवाये तथा अपीलार्थी को सुने उपरोक्त आदेश पारित कर दिया।

अपीलार्थी तथा रेस्पोडेन्ट संख्या–3 के पिता स्व. पेमाजी के जायन्दा पुरूष संतान नहीं होने से तथा तथा एक मात्र पुत्री प्यारी देवी होने से स्व. पेमाजी ने अपीलार्थी जो कि पेमाजी के भाई का पुत्र है को अपने जीवनकाल में ही सामाजिक रीति रिवाज के अनुसार 1991 से पूर्व ही अपीलार्थी को गोद ले लिया था जो कि रेस्पोडेन्ट संख्या–3 की उपस्थिति में लिया गया था तत्पश्चात् भविष्य में कानून पेचीदगिया उत्पन्न न हो, इस कारण दिनांक 13 / 10 / 2005 को रेस्पोडेन्ट संख्या–3 द्वारा अपीलार्थी के पक्ष में एक हकतर्कनामा भी निष्पादित किया गया, जो कि नोटेरी से तस्दीकसुदा है जिसमें स्वंय रेस्पोडेन्ट संख्या–3 अपीलार्थी को अपने पिता का गोदपुत्र बताया है तथा उसी हैसियत से अपीलार्थी के पक्ष में हकतर्कनामा भी निष्पादित किया। ऐसे में बाद में लोगों के बहकावे में आकर व मन में लालच आ जाने से इतने वर्ष बाद 2015 में म्यूटेशन अपील दायर की गई जो कि किसी भी रूप में स्वीकार किये जाने योग्य नहीं थी।

अपीलार्थी के पक्ष में वर्ष 2001 में ही म्यूटेशन संख्या–467 दर्ज कर दिया गया था तथा उसकी संपूर्ण जानकारी रेस्पोडेन्ट संख्या–3 को थी और उसके पश्चात् कानूनी पेचदगिया न हो, इसके लिये 2005 में रेस्पोडेन्ट संख्या–3 द्वारा हकतर्कनामा भी निष्पादित किया गया, जिसमें म्यूटेशन अपीलार्थी के नाम से भरे जाने का भी स्पष्ट उल्लेख है जिससे स्पष्ट है कि रेस्पोडेन्ट संख्या–3 को म्यूटेशन की संपूर्ण जानकारी थी परन्तु म्यूटेशन भरे जाने के 15 वर्ष बाद स्वार्थवश म्यूटेशन को खारिज करवाने की अपील अधिनरथ न्यायालय में पेश की गई. जो कि मियाद अवधि द्वारा बाधित होने से भी स्वीकार किये जाने योग्य नहीं थी फिर भी अधिनरथ न्यायालय द्वारा बिना अपीलार्थी को सुनवाई का उचित अवसर दिये आलोच्य आदेश पारित करने में कानूनी व वाक्याती भूल की है जो काबिले निरस्त है।

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
पाली (राज.)

विद्वान अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर नहीं देकर अपीलार्थी के विधिक अधिकारों का उल्लंघन किया गया है तथा भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त सुने जाने के अधिकार की खुली अवहेलना करते हुए अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उपरोक्त आलोच्य निर्णय पारित किया गया है, जो कि किसी भी रूप में स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है।

अपीलार्थी व रेस्पोडेन्ट संख्या–3 के पिता स्व. पेमाजी अपनी पत्नी जिनकी मृत्यु रेस्पोडेन्ट संख्या–3 के जन्म के कुछ ही समय बाद हो गई थी, के बाद से ही अपीलार्थी के साथ ही निवास करते थे तथा स्वंय रेस्पोडेन्ट संख्या–3 का विवाह भी अपीलार्थी द्वारा ही किया गया था तथा उसके विवाह एवम् विवाह के पश्चात् किये जाने वाले दायित्वों जैसे मायरा, तीज त्यौहार इत्यादि का समस्त खर्चों का वहन भाई होने के नाते तथा स्व. पेमाजी के गोद पुत्र होने के नाते अपीलार्थी द्वारा ही किये गये थे परन्तु बाद में स्वार्थवश मन में लालच आ जाने से जानबूझकर रेस्पोडेन्ट संख्या–3 द्वारा अपीलार्थी के पक्ष में दर्ज म्यूटेशन को खारिज करवाने हेतु अपील पेश की, जो खारिज किये जाने योग्य हैं

रेस्पोडेन्ट संख्या–2 श्रीमान् नायब तहसीलदार महोदय ने जो म्यूटेशन आदेश को स्वीकार किया, वह गैर कानूनी है तथा लैण्ड रेवेन्यु एक्ट का उल्लंघन है। परन्तु अधिनस्थ श्रीमान् अति. जिला कलेक्टर, जालोर द्वारा भी राजस्थान लैण्ड रेवेन्यु एक्ट के महत्वपूर्ण प्रावधानों की ओर ध्यान नहीं देकर आलोच्य निर्णय पारित करने में कानूनी व वाक्याती भूल की है, जिसे खारिज किया जाना न्यायोचित है।

अधिनस्थ न्यायालय का आलोच्य निर्णय अपीलार्थी की अनुपस्थिति में हुआ, ऐसे में अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय की अपीलार्थी को कोई जानकारी हुई. तत्पश्चात् अपीलार्थी को जानकारी होने के बाद करीब दो वर्षो से कोरोना महामारी का कहर पूरे भारत व राजस्थान में चल रहा है इस कारण से आवागमन का साधन भी उपलब्ध नहीं होने से अपील समय पर प्रस्तुत नहीं की जा सकी तथा कोरोना महामारी व आवागमन में छुट प्रदान होने पर अपीलार्थी अंदरमियाद अपील प्रस्तुत कर रहा है। तकनीकी कारणों को मिटाने के लिये एक अलग से प्रार्थना–पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम का पेश किया जा रहा है।

अतः अपील पेश कर निवेदन है कि अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर श्रीमान् अति. जिला कलेक्टर, जालोर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 08/07/2016 को अपास्त किया जाकर म्यूटेशन संख्या–467 को यथावतः रखे जाने का सादिर आदेश फरमावे। अन्य उचित आदेश जो अपीलार्थी के पक्ष में हो, पारित फरमावें।

अति. संभागीय आयुक्त पाली (राज.)

28/10/24

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
पाली (राज.)

6. प्रकरण में वकील अपीलाण्ट की बहस सुनी गई एवं रेस्पोडेण्ट की तरफ से कोई उपस्थित नही है। वकील अपीलाण्ट ने अपील के तथ्यों को दर्शाते हुए अपील स्वीकार करने की प्रार्थना की है।

7. पत्रावली का अवलोकन किया तथा विद्वान अभिभाषक की बहस पर मनन किया। तदानुसार इस न्यायालय का अभिमत है कि पूर्व में अतिरिक्त जिला कलेक्टर, जालोर की अपील सं. 94/2015 में निर्णय दिनांक 8.7.2016 विधि सम्मत पारित किया गया है। उक्त निर्णय की अनुपालना में वर्तमान अपील के अपीलाण्ट श्री मोहनलाल (गोदपुत्र) एवं प्रथम अपीलांट प्यारीदेवी (पुत्री मृतक पेमाराम) कौम माली अपना पक्ष तहसीलदार आहोर के समक्ष अपने गोदनामा व वारिस होने के दस्तावेज / सबूत पेश करे ताकि मृतक पेमा के विधिक वारिसान का सही निर्णय हो सके। तथा तहसीलदार आहोर सभी संबंधित पक्षों की विधिक रूप से जांच कर, उन्हे सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देकर विधिक वारिसान के पक्ष में म्यूटेशन की कार्यवाही करे। तदानुसार यह अपील स्वीकार योग्य नही होने से खारीज की जाती है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारीज की जाकर अधीनस्थ न्यायालय अति. जिला कलेक्टर जालोर के प्रकरण संख्या 94/2015 निर्णय दिनांक 8.7.2016 बअनवान प्यारीदेवी बनाम नायब तहसीलदार, आहोर वगैरा के निर्णय को यथावत रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय का मूल रिकॉर्ड इस निर्णय की प्रति के साथ माफिक निर्णय पालना करने हेतु पुनः लौटाया जावे। पत्रावली दर्ज फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर की जावे।

28/10/24
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
पाली (राज.)

यह निर्णय आज दिनांक 28/10/24 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर सरे-इजलास सुनाया गया।

28/10/24
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
पाली (राज.)